

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-7004 / 1092

दिनांक: 11-07-2017

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,  
गुरुग्राम ।

विषय: Diversion of 4.321 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R Br., Gurugram for improvement of Gurugram-Alwar road to Khandsa road (NH 8) via Fazilpur Behrampur road, km. 0 to 4.52, under forest division and District Gurugram. Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Road/22517/2016

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 537 दिनांक 25-5-2017 तथा 626 दिनांक 31-5-2017 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्रों द्वारा भेजी गई सूचना पूर्ण/पर्याप्त नहीं है । कृपया भारत सरकार के पत्र दिनांक 2-5-2017 का मदवाईज उत्तर निम्नप्रकार से पुनः भेजा जाए व सम्बन्धित प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड किए जाएं और 2-2 प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाएं :-

1. The information required by the MoEFCC that present ownership of the land is of Community/Panchayat and that it has also been notified under PLPA be provided in the shape of certificate by DFO.
2. At column A-3 (xvii) of Part-1 require that the user agency should authorise the applicant for making an application for diversion of land under FCA.  
It may be seen that in this proposal the applicant is Municipal Corporation and the road belongs to PWD (B&R). Therefore the user agency is PWD (B&R) and applicant is Municipal Corporation. Therefore, the requirement is that PWD (B&R) should authorise the Municipal Corporation to make application on their behalf.
3. ऑनलाईन पार्ट-II के पैरा 4 में बाधक वृक्षों का सारांश अंकित किया जाना है ।
4. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र अपलोड किया हुआ है तथा मूल प्रति भी प्राप्त हो चुकी है अर्थात् यह मद ठीक है ।
5. सी0ए0 साईट की के0एम0एल0 फाईल व डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड नहीं किए गए हैं और न ही हस्ताक्षरित प्रतियाँ भेजी गई हैं ।
6. प्रस्तावित रोड़ का अपलोड किया गया मैप "डी0जी0पी0एस0 मैप" नहीं है । कृपया प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित रोड़ का डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड करवाया जाए और उसकी मूल प्रति (हस्ताक्षरित) इस कार्यालय को भेजें ।

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0),  
हरियाणा, पंचकुला ।

11/7/17

पृ0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-7004 / 1093-95 दिनांक: 11-07-2017

एक प्रति :-

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध है कि वे कृपया भारत सरकार के पत्र दिनांक 2-5-2017 (प्रति संलग्न) की क्रम संख्या ii and vi की सूचना/प्रपत्र शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें ।
2. कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं0 2, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), गुरुग्राम को प्रेषित है ।
3. कार्यकारी अभियन्ता-IV, नगर निगम, गुरुग्राम को प्रेषित है ।

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0),  
हरियाणा, पंचकुला ।

11/7/17